दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित: 08 फरवरी, 2024

निर्णित: 15 फरवरी, 2024

<u>आप.पु.या. 94/2017 और सि.वि.आ. 1543/2017</u>

राज्य **...याचिकाकर्ता**

द्वारा: **श्री उत्कर्ष, राज्य के लिए अति.लो.अभि. के साथ उप-निरीक्षक मनोज कुमार, अपराध शाखा चाणक्यपुरी।**

नरेश यादव **..... प्रत्यर्थी**

द्वारा: **श्री तन्मय नागर, अधिवक्ता।**

कोरम

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. सुधीर कुमार जैन

<u>निर्णय</u>

<u>सि.वि.आ. 1543/2017 (विलंब की माफी)</u>

1. वर्तमान आवेदन वर्त्तमान पुनरीक्षण अर्जी दायर करने में 31 दिनों के विलंब की माफी के लिए परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत दायर किया गया है।

2. आवेदन में कथित कारणों के लिए, वर्तमान पुनरीक्षण अर्जी दायर करने में 31 दिनों की देरी को माफ किया जाता है।

3. आवेदन का निपटान किया जाता है।

<u>आप.पु.या. 94/2017</u>

1. वर्तमान पुनरीक्षण याचिका संहिता की धारा 482 के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 397/401 ((इसके बाद **"संहिता"** के रूप में संदर्भित) के तहत दायर की गई है। यह श्री रमेश कुमार-II, ए.एस.जे./एस.एफ.टी.सी.-2, सेंट्रल, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली (इसके बाद "**विचारण न्यायालय"** के रूप में संदर्भित) के न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 17.09.2016 आदेश (इसके बाद **"आक्षेपित आदेश**" के रूप संदर्भित) को आक्षेपित करने के लिए है जो पुलिस थाना दरियागंज में भा.दं.सं. की धारा 498क/495 के तहत दिनांकित 04.01.2010 को दर्ज प्रथमिकी संख्या 03/2010 से उत्पन्न मामले सख्या 28703/2016 में प्रत्यर्थी को भा.दं.सं. धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपमुक्त कर दिया गया था।

2. संक्षेप में कथित, वर्तमान मामले के तथ्य यह हैं कि प्राथमिकी जिसकी संख्या 03/2010 को भा.दं.सं. की धारा 498क/495 के तहत पुलिस थाना दरियागंज में 'प्र' द्वारा शिकायत के आधार पर दर्ज किया है (इसके बाद "**शिकायतकर्ता"** रूप में संदर्भित) जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसकी शादी नरेश यादव पुत्र श्री लखमी चंद (इसके बाद **"प्रत्यर्थी "** के रूप में संदर्भित) साथ मई 2007 में हिंदू संस्कारों और अनुष्ठान समारोहों के अनुसार हुई थी। शादी के कुछ समय पश्चात, प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों ने

शिकायतकर्ता को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया और दहेज की माँग की। शिकायतकर्ता को ससुराल से बाहर निकाल दिया गया और उसे अपने माता पिता के ।साथ रहने के लिए मजबूर किया गया जब वह अपने माता-पिता पिता के साथ रहती थी, तब शिकायतकर्ता को प्रत्यर्थी और उसके चचेरे भाई नरेश यादव, निवासी न्यू अशोक नगर, दिल्ली द्वारा दहेज यानी एक कार और 1,00,000/- रुपये की नकद राशि देने के लिए धमकी भी दी गई थी, माता पिता के साथ रहते हुए लेकिन जब उसके माता पिता इन मांगों को पूरा करने की स्थिति में नहीं थे। प्रत्यर्थी ने उसे दरियागंज के गोलछा सिनेमा हॉल के पास आने के लिए कहा। शिकायतकर्ता गोलचा सिनेमा हॉल के पास गई तो पाया कि प्रत्यर्थी और उसका चचेरा भाई नरेश यादव जो उस समय दिल्ली पुलिस में मुख्य आरक्षी के रूप में तैनात थे, वहाँ मौजूद थे और उन्होंने शिकायतकर्ता से दहेज की माँग के बारे में पूछा। शिकायतकर्ता ने इन माँगों को पूरा करने में अपने माता पिता की असमर्थता दिखाई, तो दोनों ने उसे और उसके परिवार के सदस्यों को गाली दी। प्रत्यर्थी ने उसे थप्पड़ भी मारा और उसका जीवन बर्बाद करने की धमकी दी क्योंकि उसका चचेरा भाई दिल्ली पुलिस में तैनात था।

शिकायतकर्ता ने बाद में एक शिकायत में यह भी अभिकथित किया कि प्रत्यर्थी ने उससे शादी करते समय अपनी पिछली शादी के बारे में भी बात छिपाई थी। तदनुसार, वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की गई।

2.1 जाँच निरीक्षक इंस्पेक्टर प्रेम चंद्र को सौंपी गई, जिन्होंने जाँच के दौरान शिकायतकर्ता की पड़ताल की और उसका बयान दर्ज किया। शिकायतकर्ता ने अपने पूर्व के बयान को समर्थन किया और आगे अभिकथित किया कि वह दिनाँक 27.11.2007 को वह प्रत्यर्थी और, उसके भाई अर्थात् हेमंत और उसकी पत्नी अर्थात् डॉली ट्रेन से नई दिल्ली से जम्मू गए थे। जम्मू में, प्रत्यर्थी ने उसे सीढ़ियों से नीचे धकेलकर मारने की कोशिश की, जिसके कारण शिकायतकर्ता को गंभीर चोटें आईं और उसका इलाज डॉ. नूर अली, सहायक प्राध्यापक, सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू द्वारा किया गया। शिकायतकर्ता ने उपचार पर्ची की फोटोकॉपी और प्रत्यर्थी के साथ अपनी शादी की 04 तस्वीरें भी प्रस्तुत की। शिकायतकर्ता ने यह भी अभिकथित किया कि प्रत्यर्थी ने 2007-2008 के दौरान लेक व्यू नर्सिंग होम, पांडव नगर के कर्मचारियों के साथ मिलकर उसे अचेत करने के बाद उसकी जानकारी के बिना उसका गर्भपात कर दिया। शिकायतकर्ता ने यह भी अभिकथित किया कि उप-निरीक्षक, प्रतिभा, पुलिस थाना मालवीय नगर उसके भाई हेमंत के खिलाफ बलात्कार के आरोप के बारे में जाँच कर रही थीं और उप-निरीक्षक प्रतिभा ने महिला विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ में लंबित प्रत्यर्थी के खिलाफ उसकी शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डालने के पश्चात उसकी लिखित सहमति प्राप्त की और हेमंत के खिलाफ शिकायत बंद करने के लिए उनके परिवार से 2,60,000 रुपये की माँग की।

2.2 जाँच अधिकारी ने प्रत्यर्थी और मुख्य आरक्षी नरेश यादव से पूछताछ की, जिन्होंने शिकायतकर्ता द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए अभिकथन से इनकार

कर दिया। प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया कि वह शिकायतकर्ता को जानता था लेकिन उससे शादी करने से इनकार कर दिया। जाँच अधिकारी ने जाँच के दौरान यह भी पाया कि शिकायतकर्ता ने दिनांकित 23-09-2008 के शपथ पत्र के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करने के बाद महिला विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ केंद्रीय जिला में लंबित प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपनी शिकायत वापस ले ली थी।

2.3 जाँच को दिनाँक 08-04-2010 को अपराध शाखा को स्थानांतरित किया गया जिसे उप-निरीक्षक अजीत मलिक को सौंपा गया था। जाँच अधिकारी ने जाँच के दौरान पाया कि लेक व्यू नसग होम, पांडव नगर में दिनाँक 30-06-2007 से दिनाँक 30-06-2008 के दौरान शिकायतकर्ता के नाम से कोई प्रविष्टि नहीं थी और ऐसा कोई रोगी वहां भर्ती नहीं पाया गया था। जाँच अधिकारी ने मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक, आई.आर.सी. बिल्डिंग, नई दिल्ली के कार्यालय से भी विवरण एकत्र किया और पाया कि प्रत्यर्थी, शिकायतकर्ता, हेमंत भारद्वाज और डोली ने दिनाँक 27-11-2007 को प्रस्थान करने वाली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जम्मू तवी के लिए गाड़ी में टिकटें बुक की थीं। सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू के सहायक प्रोफेसर डॉ. नूर अली से की गई पूछताछ के अनुसार जाँच अधिकारी को पता चला कि शिकायतकर्ता सीने में दर्द और गहरी सांस लेने पर दर्द की शिकायत लेकर उनके पास आई थी और उसे श्वसन पथ के संक्रमण के लिए दवाएं दी गई थीं।

2.4 आगामी जाँच उप-निरीक्षक संजय नेओलिया को सौंपी गई, जिन्होंने शिकायतकर्ता और प्रत्यर्थी के संबंधित मोबाइल के कॉल विवरण अभिलेख (सीडीआर) एकत्र किए, जिसमें उनके बीच आने वाली और बाहर जाने वाली फोन कॉल और एस.एम.एस. दिखाई दिए। जाँच अधिकारी ने प्रत्यर्थी के चचेरे भाई मुख्य आरक्षी नरेश यादव से भी पूछताछ की, जिन्होंने कहा कि वह वर्ष 1986-91 के दौरान वे पुलिस थाना संसद मार्ग में तैनात थे और श्रीमती शांति देवी के संपर्क में आए थे, जो उस समय सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी, विट्ठल भाल पटेल मार्ग, दिल्ली में तैनात थीं। मुख्य आरक्षी नरेश यादव ने उसके साथ पारिवारिक संबंध बनाए। वर्ष 1990, में प्रत्यर्थी एक दुर्घटना का शिकार हुआ और उसे जे.पी.एन. अस्पताल में भर्ती किया गया था। मुख्य आरक्षी नरेश यादव के अनुरोध पर श्रीमती शांति ने अपने इलाज के दौरान प्रत्यर्थी की मदद की, जिसने ठीक होने के बाद शांति और उसके परिवार के सदस्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। वर्ष 2007 में प्रत्यर्थी और मुख्य आरक्षी नरेश यादव हेमंत की शादी में यादव शामिल हुए थे। प्रत्यर्थी शिकायतकर्ता का केवल एक अच्छा दोस्त था, लेकिन उसकी शिकायतकर्ता से कभी शादी नहीं हुई। शिकायतकर्ता कभी भी उनके घर नहीं गया और न ही कभी रुका। उन्होंने शिकायतकर्ता के परिवार को शिकायतकर्ता के साथ प्रत्यर्थी की शादी के लिए कभी कोई पेशकश/प्रस्ताव नहीं दिया। न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार के सदस्यों ने शिकायतकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों को कोई धमकी दी।

2.5 जाँच अधिकारी ने प्रत्यर्थी की भी जाँच की। प्रत्यर्थी ने यह विवरणित किया कि वह अपने चचेरे भाई मुख्य आरक्षी नरेश यादव के माध्यम से शांति के संपर्क में आया था, जो दिल्ली पुलिस में तैनात था और शांति ने जे.पी.एन. अस्पताल में उसके इलाज में उसकी मदद की। प्रत्यर्थी ने शांति और उसके परिवार के सदस्यों के साथ एक दोस्ताना संबंध विकसित किया। प्रत्यर्थी का विवाह वर्ष 1990 में ग्राम होशियारपुर में हुआ था। वर्ष 2007 में मुख्य आरक्षी नरेश यादव के साथ प्रत्यर्थी हेमंत की शादी में शामिल हुए थे। प्रत्यर्थी ने हेमंत, उसकी पत्नी डॉली और शिकायतकर्ता के साथ ट्रेन से वैष्णो देवी, जम्मू की यात्रा की। प्रत्यर्थी ने कटरा और जम्मू की अपनी यात्रा के दौरान दो कमरे भाड़े पर लिए और एक कमरा उसके द्वारा साझा किया गया और हेमंत और दूसरे कमरे को शिकायतकर्ता और डॉली ने साझा किया। प्रत्यर्थी ने शिकायतकर्ता के साथ कभी शादी नहीं की और शिकायतकर्ता का केवल एक अच्छा दोस्त । प्रत्यर्थी ने ओ.पी. भारद्वाज अर्थात शिकायतकर्ता के पिता को ऋण दिया था । शिकायतकर्ता द्वारा उसके के खिलाफ पुलिस थाना दरियागंज और महिला विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ, केन्द्रीय जिला में झूठी शिकायत दर्ज कराई, जब प्रत्यर्थी द्वारा ओ.पी. भारद्वाज से पैसे को वापिस करने के लिए कहा गया तो शिकायतकर्ता ने आरोप लगया की प्रत्यर्थी ने उससे शादी की और उससे दहेज़ के लिए उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया था। शिकायतकर्ता ने बाद में अपनी शिकायत वापस ले ली। शिकायतकर्ता ने दिनाँक 30.05.2009 को सुंदर शर्मा से शादी की। प्रत्यर्थी ने यह भी कहा कि उसने

निरीक्षक पूरन सिंह मेहरा, जो यू.पी पुलिस में निरीक्षक के पद पर तैनात थे और जो ओ.पी. भारद्वाज के भी परिचित थे के साथ पैसे को लेकर विवाद स्थापित किया था। पूरन सिंह ने ओ.पी. भारद्वाज के साथ साजिश रची और उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई। प्रत्यर्थी ने शिकायतकर्ता के साथ कभी शादी नहीं की या शिकायतकर्ता के साथ कोई यौन संबंध नहीं रखा था।

2.6 जाँच अधिकारी ने शिकायतकर्ता से भी पूछताछ की। शिकायतकर्ता ने कहा कि मुख्य आरक्षी नरेश यादव, जो प्रत्यर्थी का चचेरा भाई है, जनवरी, 2007 में उसके घर आया और शिकायतकर्ता के साथ प्रत्यर्थी के विवाह का प्रस्ताव रखा। शिकायतकर्ता के माता-पिता उक्त विवाह प्रस्ताव पर सहमत हो गए। प्रत्यर्थी दिनाँक 25.05.2007 को शिकायतकर्ता को उसके चाचा के घर ले गया, (मुख्य आरक्षी नरेश यादव के घर) जहाँ प्रत्यर्थी ने उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए। प्रत्यर्थी ने उसे, उनके भाई हेमंत और उनकी पत्नी डॉली को भी वैष्णो देवी ले गया और जम्मू और कटरा के होटलों में रुके। प्रत्यर्थी ने फिर से शादी का झूठा वादा करके उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए। प्रत्यर्थी ने उसकी अश्लील सी.डी. भी बनाई और उसे मारपीट भी की। प्रत्यर्थी ने दिल्ली वापस आने के बाद, शिकायतकर्ता को उसके माता-पिता के घर छोड़ दिया। शिकायतकर्ता ने अपने माता-पिता को सभी तथ्यों के बारे में बताया तब उन्होंने प्रत्यर्थी से संपर्क किया। प्रत्यर्थी शिकायतकर्ता के घर आया और शिकायतकर्ता और उसके माता-पिता को शिकायतकर्ता की अश्लील सी.डी. को सार्वजनिक

करने की धमकी दी और शिकायतकर्ता के माता-पिता से 1,30,000/- रुपये भी वसूले।

2.7 जाँच अधिकारी ने शिकायतकर्ता के पिता अर्थात् ओ.पी. भारद्वाज, शिकायतकर्ता की मां अर्थात् शांति और शिकायतकर्ता के भाई हेमंत से भी पूछताछ की, जिन्होंने भी जाँच के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा बताए गए तथ्यों और ऊपर दिए गए विस्तृत तथ्यों का उल्लेख किया। जाँच अधिकारी जाँच के आधार पर भा.दं.सं. की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध को जोड़ता है और भा.दं.सं. की धारा 498 क और 495 के तहत दंडनीय अपराधों को हटा देता है। शिकायतकर्ता ने जाँच के दौरान प्रत्यर्थी के साथ अपनी तस्वीर भी पेश की, जिसे जम्मू के रघुनाथ मंदिर के पास प्रभात स्टूडियो में लिया गया था। शिकायतकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान, प्रत्यर्थी ने होटल वैष्णवी पैलेस, कटरा और होटल सूर्या एक्सीलेंसी, जम्मू में कमरा बुक किया। जाँच अधिकारी इन तथ्यों से संबंधित कोई दस्तावेजी प्रमाण एकत्र नहीं कर सका।

2.8 जाँच अधिकारी ने उप-निरीक्षक प्रतिभा शर्मा की भी जाँच की, जिन्होंने शिकायतकर्ता द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने शिकायतकर्ता पर अपनी शिकायत वापस लेने के लिए कभी दबाव नहीं डाला। जाँच अधिकारी ने न्यू अशोक नगर के स्थानीय निवासियों से मुख्य आरक्षी नरेश यादव के घर पर रहने और छेड़छाड़ के बारे में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में भी पूछताछ की, लेकिन उन

आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी। प्रत्यर्थी द्वारा जबरन गर्भपात करने और उसे जान से मारने पर उसके प्रयास के संबंध में शिकायतकर्ता के अभिकथनों की पुष्टि नहीं की जा सकी। मुख्य आरक्षी नरेश यादव और उपनिरीक्षक प्रतिभा शर्मा पर लगे अभिकथनों को स्थापित नहीं किया जा सका। जाँच अधिकारी ने जाँच पूरी होने के बाद महानगर दंडाधिकारी की संबंधित न्यायालय के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया।

3. श्री मनीष यदुवंशी, अति.मु.महा.दं.-01, सेंट्रल, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली की न्यायालय ने दिनांकित 06.08.2012 के आदेश के तहत पाया कि शिकायतकर्ता ने जाँच लंबित रहने तक पुलिस को अलग-अलग बयान दिए जिन्हें दिनांकित 01.03.2011 को उसके पूरक बयान के रूप में दर्ज किया गया था। थान प्रभारी, पुलिस थाना दरियागंज को संबोधित शिकायतकर्ता की दिनांकित 08.04.2008 की मूल शिकायत और दिनांकित 13.01.2010 के पूरक बयान से पता चलता है कि उसने प्रत्यर्थी के साथ अपने विवाह के संबंध में अपने पहले के रुख में बदलाव करने करने की कोशिश की है। यह भी देखा गया कि आरोप पत्र से यह स्पष्ट नहीं है कि शिकायतकर्ता द्वारा पेश की गई शादी की तस्वीरों की मूल स्रोत की जाँच क्यों नहीं की गई, जिसके कारण भा.दं.सं. की धारा 498 क और 495 को हटा दिया गया। यह भी देखा गया कि प्रत्यर्थी के पहले विवाह के संबंध में प्रत्यर्थी के साथ शिकायतकर्ता के विवाह के तथ्य के सम्बन्ध में टालने के सम्बन्ध में कोई जाँच नहीं की गई थी।

न्यायालय ने शिकायतकर्ता और प्रत्यर्थी के विवाह के सबूत के संबंध में निरीक्षक प्रेम चंद्रा से पूछताछ नहीं करने के संबंध में भी स्पष्टीकरण माँगा। न्यायालय ने मुख्य आरक्षी नरेश यादव के खिलाफ की गई जांच के भी संबंध में भी स्पष्टीकरण माँगा, जिनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया था। न्यायालय ने जबरन वसूली के आरोप के संबंध में जाँच के संबंध ने स्पष्टीकरण भी मांगा। श्री मनीष यदुवंशी, अति.मु.महा.दं.-01, सेंट्रल, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली की न्यायालय ने दिनाँक 15.09.2012 के आदेश के तहत संहिता की धारा 173(8) के अनुसार आगे की जाँच के लिए निर्देशित किया था।

3.1 उपनिरीक्षक शिवराज सिंह, ए.आर.सी./मालवीय नगर, अपराध शाखा, नई दिल्ली को आगे की जाँच करने का कार्य सौंपा गया था। जाँच अधिकारी ने शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए विवाह के फोटोग्राफ के स्त्रोत का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन उनका पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि शिकायतकर्ता ने उसे और उसके पिता को दी गई संहिता की धारा 91 के तहत नोटिसों का कोई जवाब नहीं दिया। शिकायतकर्ता के पिता ने शिकायतकर्ता और प्रत्यर्थी की सगाई और विवाह के संबंध में दो कॉम्पैक्ट डिस्क (सी.डी) प्रदान की और कहा कि वह न्यायालय में उन सी.डी. की सामग्री का मूल स्रोत पेश करेंगे। जाँच अधिकारी ने उक्त सी.डी. को फोरेंसिक जाँच के लिए एफ.एस.एल. रोहिणी भेजा और विशेषज्ञों की राय के अनुसार, "यहाँ परत दर परत जाँच के आधार पर वीडियो अंश में फेरबदल का कोई संकेत नहीं मिला। शिकायतकर्ता के पिता ने वह मोबाइल भी पेश नही किया जिससे प्रत्यर्थी द्वारा शिकायतकर्ता को

एस.एम.एस भेजा गया था। और जिसमें एस.एम.एस मौजूद था। आगे की जाँच के दौरान प्रत्यर्थी ने कथित किया की 1990 में उसकी पहली शादी में कोई फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं हुई थी। जाँच के दौरान, सह-अभियुक्त मुख्य आरक्षी नरेश यादव को केवल शांति के साथ प्रत्यर्थी को पेश करने में शामिल पाया गया था। शिकायतकर्ता को प्रत्यर्थी द्वारा यौन मारपीट/उत्पीड़न या जीवन ख़त्म प्रयास करने के आरोप नहीं लगाए गए और जम्मू में डॉक्टर को इस तरह के किसी भी तथ्य का खुलासा नहीं किया। शिकायतकर्ता ने अपनी पिछली शिकायतों में प्रत्यर्थी द्वारा जबरन वसूली के तथ्य का कभी अभिकथन नही लगाया गया। शिकायतकर्ता और उसके माता-पिता सूचना के बावजूद अग्रिम जाँच में शामिल नहीं हुए। अग्रिम जाँच पूरी होने के बाद अनुपूरक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था।

4. श्री सुधांशु कौशिक, अति.मु.महा.दं.-01, केंद्रीय की न्यायालय ने दिनांकित 14.05.2015 के आदेश के तहत पाया कि आरोप पत्र प्रथम दृष्टया भा.दं.सं. धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के कृत्य का खुलासा करता है और प्रत्यर्थी को तदनुसार भा.दं.सं. की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए समन करना किया गया। प्रत्यर्थी ने सम्मन करना आदेश दिनांकित 14.05.2015 से व्यथित होकर एक आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 35/2015 दायर की जिसे दिनांकित 14.05.2015 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया श्री विनय कुमार खन्ना, विशेष न्यायाधीश-सीबीआई (भ्रष्टाचार निवारण अभिनियम)-06, केंद्रीय, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली की न्यायालय द्वारा दिनांकित

03.11.2015 आदेश द्वारा यह देखते हुए खारिज कर दिया गया कि समन करना दिनांकित 14.05.2015 आदेश में कोई अवैधता, प्रक्रियात्मक अनियमितता या अनौचित्य नहीं है।

5. विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के तहत, प्रत्यर्थी को भा.दं.सं. की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपराधमुक्त कर दिया। दिनांकित 17.09.2016 के आक्षेपित आदेश के प्रासंगिक पैरा को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, यह स्पष्ट रूप से पता लगाया गया है कि शिकायतकर्ता समय-समय पर जाँच प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए नए और विरोधाभासी तथ्यों को सामने लाता है। अभियोक्त्री के न्यायिक विधिक मामले और भा.दं.सं. की धारा 164 के तहत अभियोक्त्री के बयान के अभाव में, अभियोक्त्री के आरोपों को उचित नही ठहराया जा सकता है। उनके यौन उत्पीड़न के आरोपों पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि श्री ओ.पी भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत कोई भी मेडिकल रिपोर्ट यौन उत्पीड़न के आरोपों का समर्थन या उल्लेख नहीं करती है। इसके अलावा, भा.दं.सं. की धारा 376 के तहत अभियुक्त के खिलाफ दोष लगाने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है।

चूंकि अभिलेख पर कोई पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अतः, आगे विचारण से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। मुकदमे के लिए केवल अभियोक्त्री का बयान पर्याप्त नहीं है। इसलिए, इन परिस्थितियों में, प्रथम दृष्टया इस मामले के साथ आगे बढ़ाने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री नहीं है। तदनुसार, आरोपी नरेश यादव को भा.दं.सं. की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराधों से मुक्त किया जाता है।

6. याचिकाकर्ता/राज्य ने आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर, आक्षेपित आदेश को इस आधार पर रद्द करने के लिए वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की कि आक्षेपित आदेश कल्पना, संभावना, अनुमानों और संदेहों पर आधारित है और तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर आधारित न होने के कारण कानून की जाँच का आधार नही हो सकता है। शिकायतकर्ता को यह नहीं पता था कि प्रत्यर्थी पहले से ही विवाहित था और उसके बच्चे थे जब उसने दिनांकित 04.08.2008 को पहली शिकायत की जिसे महिला विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ, केन्द्रीय जिला को भेजा गया था। शिकायतकर्ता को बाद में प्रत्यर्थी की पिछली शादी के बारे में पता चला और फिर उसने तुरंत दिल्ली के पुलिस आयुक्त को एक नई शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उसकी पिछली शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें प्रत्यर्थी की पिछली शादी के बारे में कोई तथ्य नहीं था। विचारण न्यायालय ने शिकायतकर्ता के दिनाँक 01.03.2011 के पूरक बयान की पूरी तरह से अवहेलना की और अनदेखी की। विचारण न्यायालय से आरोप तय करने पर विचार करते समय मामले की विस्तार से जाँच और आकलन नहीं करने की उम्मीद की गई थी। याचिकाकर्ता/राज्य ने आक्षेपित आदेश को चुनौती देने के लिए अन्य आधार भी उठाए।

7. याचिकाकर्ता/राज्य के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक ने मौखिक तर्क दिए और लिखित निवेदन प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने आरोप तय करने के चरण में एक लघु विचारण किया है और

प्रत्यर्थी को आरोपमुक्त कर दिया है। पूरक आरोप पत्र मूल आरोपपत्र के क्रम में दायर किया गया था और विचारण न्यायालय को आरोप पत्र के साथ-साथ पूरक आरोप पत्र, गवाहों के बयानों और जाँच अधिकारी द्वारा दायर दस्तावेजों का अवलोकन करना चाहिए था और फिर एक स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए था। शिकायतकर्ता ने पुलिस थाने में प्रथम शिकायत दिनाँक 08.04.2008 को दर्ज की थी, लेकिन बाद की शिकायत दिनाँक 07.05.2008 में, दर्ज की पहली शिकायत में बताए गए आरोपों को दोहराने के अलावा, शिकायतकर्ता ने उसे और उसके परिवार के सदस्यों को गलत जानकारी देने में मुख्य आरक्षी नरेश यादव यानी प्रत्यर्थी के चचेरे भाई की भूमिका के बारे में भी बताया। शिकायतकर्ता ने कहा है कि प्रत्यर्थी पहले से ही विवाहित था, लेकिन उक्त तथ्य उससे और उसके परिवार के सदस्यों से छिपाया गए थे। यह विचारण न्यायालय का कर्तव्य था कि वह आरोप तय करते समय अपने विवेक का प्रयोग करे। विचारण न्यायालय को न्यायिक विवेक के प्रयोग के बिना जाँच अभिकरण द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के समर्थन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। विचारण न्यायालय से यह उम्मीद और आपेक्षित नहीं किया गया था कि वह अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यो को क्रमबंधन करने के उद्देश्य से एक लघु विचारण आयोजित करेगी। सम्मन देना आदेश दिनांकित 14.05.2015 के खिलाफ प्रत्यर्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को संबंधित न्यायालय ने खारिज कर दिया था और इस तरह वर्तमान मामला प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए उपयुक्त है। अभियुक्त की दोषसिद्धि शिकायतकर्ता की एकमात्र गवाही

पर आधारित हो सकती है। न्यायालय यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, बलात्कार आदि के आरोपों से जुड़े मामलों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटाने के लिए बाध्य है और शिकायतकर्ता के बयान में मामूली विरोधाभास या महत्वहीन विसंगतियां अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज करने का आधार नहीं होना चाहिए। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने **भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल और अन्य**, (1979) 3 एस.सी.सी. 4; **दीपकभाई जगदीशचंद्र पटेल बनाम गुजरात राज्य और अन्य,** (2019) 16 एस.सी.सी. 547; **सज्जन कुमार बनाम सी.बी.आई.**, (2010) 9 एस.सी.सी. 368; **आसिम शरीफ बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी**, (2019) 7 एस.सी.सी. 148; **कर्नाटक राज्य बनाम एम.आर. हिरेमठ,** (2019) 7 एस.सी.सी. 515; **भावना बाई बनाम घनश्याम**, (2020) 2 एस.सी.सी.217; **पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह**, (1996) 2 एस.सी.सी. 384 उलेख किया था यह तर्क दिया गया था कि आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया जाए और विचारण न्यायालय को प्रत्यर्थी के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 376 (2) (ढ) के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप तय करने का निर्देश दिया जाए।

7.1 प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने मौखिक दलीलें प्रकट की और लिखित निवेदन भी प्रस्तुत किए। उन्होंने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने पिछली शिकायत में यौन उत्पीड़न का एक भी आरोप नहीं लगाया था, लेकिन दो साल के अंतराल के बाद, समय और तारीख का उल्लेख किए बिना आरोप लगाया कि बलात्कार

किया गया था। चिकित्सकीय विधिक मामला या अभिलेख पर दोष सिद्ध करने वाली सामग्री के अभाव में बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोप साबित नहीं हो सके। शिकायतकर्ता संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने के लिए न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ, जो दर्शाता है कि प्रत्यर्थी के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। लेक व्यू अस्पताल, पांडव नगर, दिल्ली में जबरन गर्भपात कराने के संबंध में आरोप सिद्ध नहीं हो सके। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने **प्रशांत भास्कर बनाम राज्य,** 2014 1 जे.सी.सी.750 में उल्लेख किया जिसमें अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत इस आधार पर अपराध के लिए आरोपमुक्त कर दिया गया था कि अपराध के तत्व नहीं बनाए गए हैं और बयानों में तथ्य विरोधाभास हैं जो इसे असुरक्षित बनाते हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने भी इसका उल्लेख **प्रशांत भारती बनाम राज्य (रा.रा.क्षे दिल्ली)** (2013) 9 एस.सी.सी. 293 में किया और यह तर्क दिया गया कि वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया जाए।

8. संहिता का अध्याय अठारह सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण से संबंधित है। धारा 227 उस स्थिति से संबंधित है जब अभियुक्त को आरोपमुक्त किया जाएगा। धारा 228 आरोप तय करने से संबंधित है। संहिता की धारा 227 और 228 निम्नानुसार है:-

227. दोषमुक्त- यदि, मामले के अभिलेख और उसके साथ निवेदित दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात्, तथा इस संबंध में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की निवेदनों को सुनने के पश्चात् न्यायाधीश का यह

विचार है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को दोषमुक्त करेगा और ऐसा करने के लिए अपने कारण अभिलिखित करेगा।

228. आरोप की विरचना--(1) यदि, पूर्वोक्त रूप में इस तरह के विचार और सुनवाई के बाद, न्यायाधीश की राय है कि यहाँ यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने कोई अपराध किया है जो-

(क) जो सत्र न्यायालय द्वारा अनन्य रूप से विचारण योग्य नहीं है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित कर सकता है, और आदेश द्वारा, विचारण के लिए मामले को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, 3 [या प्रथम श्रेणी के किसी अन्य न्यायिक दंडाधिकारी को अंतरित कर सकेगा और अभियुक्त को यथास्थिति, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निदेश दे सकेगा, प्रथम श्रेणी का न्यायिक दंडाधिकारी, ऐसी तारीख को, जैसा वह ठीक समझे, और उसके बाद ऐसा दंडाधिकारी] पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट-मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार अपराध का विचारण करेगा;

(ख) न्यायालय द्वारा अनन्य रूप से विचारणीय है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध लिखित में आरोप विरचित करेगा।

(2) जहां न्यायाधीश उपधारा (1), के खंड (ख) के अधीन कोई आरोप विरचित करता है वहां आरोप अभियुक्त को पढ़ाया और समझाया जाएगा तथा अभियुक्त से पूछा जाएगा कि क्या वह आरोपित अपराध का दोषी करार स्वीकार करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है।

8.1 आरोप विरचित करने का प्रयोजन अभियुक्त को आरोप की स्पष्ट, असंदिग्ध और विधिक् पूर्वक प्रकृति के बारे में सूचित करना है जिससे अभियुक्त को विचारण के दौरान उपस्थित होने के लिए कहा जाता है जैसा कि **वी.सी.शुक्ला बनाम राज्य के माध्यम से सी.बी.आई.** 1980 पूरक एस.सी.सी. 92. अभियोजन पक्ष को आरोप तय करने से पहले प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करना आवश्यकता है **भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल और अन्य,**(1979) 3 एस.एस.सी. 4 उच्चतम न्यायालय ने सत्र न्यायालय में संहिता की धारा 227 के अनुसार आरोप तय करने के चरण में जाँच के दायरे पर विचार किया और निम्नानुसार देखा-:

> **(1) संहिता की धारा 227 के तहत आरोप तय करने के प्रश्न पर विचार करते समय न्यायाधीश के पास यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए साक्ष्य की जाँच करने और मूल्यांकन की निस्संदेह शक्ति है कि क्या प्रथम दृष्टया अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला है बनाया गया है। या नहीं।**
>
> **(2) जहाँ न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री अभियुक्त के खिलाफ गंभीर संदेह का खुलासा करती है, जिसे ठीक से समझाया नहीं गया है, न्यायालय आरोप तय करने और मुकदमे के साथ आगे बढ़ने में पूरी तरह से न्यायनुमत होगी।**
>
> **(3) प्रथम दृष्टया मामले का निर्धारण करने के लिए परीक्षण स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और सार्वभौमिक अनुप्रयोग का नियम निर्धारित करना कठिन है। सामान्य रूप से हालाँकि यदि दो विचार समान रूप से संभव हैं और न्यायाधीश संतुष्ट है कि उसके समक्ष पेश किए गए साक्ष्य**

अभियुक्त के खिलाफ कुछ संदेह पैदा करते हैं, लेकिन गंभीर संदेह पैदा नहीं करते हैं, तो वह अभियुक्त को आरोपमुक्त करने के अपने पूर्ण अधिकार के अंतर्गत पूरी तरह से होगा।

(4) संहिता की धारा 227 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए वर्तमान संहिता के अंतर्गत न्यायाधीश, जो एक वरिष्ठ और अनुभवी न्यायाधीश है, केवल डाकघर या अभियोजन पक्ष के प्रवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, बल्कि मामले की व्यापक संभावनाओं, साक्ष्य और न्यायालय के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों के कुल प्रभाव, मामले में दिखाई देने वाली किसी भी बुनियादी दुर्बलता आदि पर विचार करना आदि है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायाधीश को मामले के गुणदोष की अतिगामी जाँच करनी चाहिए और साक्ष्यों का मुल्यांकन इस प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार की वह कोई सुनवाई कर रहा हो।

8.2 उच्चतम न्यायालय ने **औंकार नाथ मिश्रा और अन्य बनाम राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली) और अन्य**, 2007 की अपील (आप) 1716 में आरोप तय करने के संबध में दिंनाकित 14-12-2007 को निर्णय दिया जो निम्नानुसार है:-

यह अतिसामान्य है कि आरोप तय करने के चरण में न्यायालय को अभिलेख पर सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनसे सामने आने वाले तथ्य, उनके प्रत्यक्ष रूप में लिए गए हैं, और कथित अपराध का गठन करने वाले सभी अवयवों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं उस स्तर पर, न्यायालय से अभिलेख पर सामग्री के जाँच संबंधी रूप में विस्तार से जाने की उम्मीद नहीं की जाती है। इस बात पर विचार करने की आवश्यकता

है कि क्या यह मानने का आधार है कि अपराध किया गया है और अभियुक्त को दोषी ठहराने का आधार नहीं बनाया गया है। उस स्तर पर, यहाँ तक कि सामग्री पर स्थापित मजबूत संदेह जो न्यायालय को कथित अपराध का गठन करने वाले तथ्यात्मक अवयवों के अस्तित्व के रूप में एक अनुमानित राय बनाने के लिए प्रेरित करता है, उस अपराध के कृत्य के संबंध में अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय करने का औचित्य साबित करेगा।

8.3 उच्चतम न्यायालय ने **दीपकभाई जगदीशचंद्र पटेल बनाम गुजरात राज्य और अन्य**, (2019) 16 एस.सी.सी. 547 में आरोप की विरचना और उन्मोचन से संबंधित कानून पर चर्चा की और निम्नानुसार देखा: -

> 15. **हम इस संबंध में, सफल रूप, से बिहार राज्य बनाम रमेश सिंह में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं। जिसमें इस न्यायालय ने आरोप तय करने और उन्मोचन से संबंधित सिद्धांतों को निम्नानुसार निर्धारित किया है:**
>
> "4. ... **धारा 227 और 228 को एक साथ संस्थिति पढने पर, जैसा की उन्हें होना चाहिए, यह स्पष्ट होगा की विचारण के शुरुवाती और प्रारंभिक चरण में सच्चाई, सत्यता और साक्ष्य के प्रभाव को जो अभियोजक पेश करने का प्रस्ताव करता है, उसे पूरी बारीकी से न्यायनुमत नहीं किया जाना चाहिए। न ही अभियुक्त के संभावित बचाव के लिए कोई महत्त्व जोड़ा जाना है। विचारण के उस चरण में न्यायाधीश के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह किसी भी विस्तार से विचार करे और संवेदनशील संतुलन में मूल्यांकन करे कि क्या तथ्य, यदि साबित हो जाते हैं,**

तो अभियुक्त की निर्दोषता के साथ असंगत होंगे या नहीं। विचारण के उस चरण में न्यायाधीश के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह किसी भी विवरण को विचार करे और संवेदनशील संतुलन में समझे कि क्या तथ्य, यदि साबित हो जाते हैं, तो अभियुक्त की निर्दोषता के साथ असंगत होंगे या नहीं। अभियुक्त के अपराध या अन्यथा के बारे में निष्कर्ष दर्ज करने से पहले परीक्षण और निर्णय का मानक जिसे अंतिम रूप से लागू किया जाना है, संहिता की धारा 227 या धारा 228 के तहत मामले का निर्णय करने के चरण में बिल्कुल लागू नहीं किया जाना है। उस स्तर पर न्यायालय को यह नहीं देखना है कि क्या यहाँ अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार है या क्या विचारण निश्चित रूप से उसकी दोषसिद्धि में समाप्त होना निश्चित है। अभियुक्त के खिलाफ मजबूत संदेह, यदि मामला संदेह के क्षेत्र में बचा रहता है, तो मुकदमे के समापन पर उसके अपराध के सबूत की जगह नहीं ले सकता है। लेकिन प्रारंभिक चरण में यदि कोई मजबूत संदेह है जो न्यायालय को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो यह कहना न्यायालय के लिए स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। अभियुक्त के अपराध की धारणा, जिसे प्रारंभिक चरण में तैयार किया जाना है, फ्रांस में आपराधिक मामलों के परीक्षण को नियंत्रित करने वाले कानून के अर्थ में नहीं है, जहाँ अभियुक्त को दोषी माना जाता है जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो। लेकिन यह केवल प्रथम दृष्टया निर्णय लेने के उद्देश्य से है कि न्यायालय को मुकदमे को आगे बढ़ाना चाहिए

या नहीं। यदि अभियोजक अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए जो साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता है, भले ही उसे प्रतिपरीक्षा में चुनौती देने से पहले पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाए या बचाव पक्ष के साक्ष्य द्वारा खंडन किया जाए, यदि कोई हो, तो यह नहीं दिखा सकता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा। ... यदि अभियुक्त के अपराध या निर्दोषता के बारे में तुला पलड़ा विचारण के समापन पर भी कुछ ऐसा है, तो, संदेह के लाभ के सिद्धांत पर मामला उसके बरी होने में समाप्त होना है। लेकिन यदि, दूसरी ओर, धारा 227 या धारा 228, के तहत आदेश देने के प्रारंभिक चरण में ऐसा हो, ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से और आम तौर पर जो आदेश देना होगा वह धारा 228 के अधीन होगा न की धारा 227 के अधीन।

xxx xxx xxx

23. **इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार आरोप तय करने के चरण में, न्यायालय से जो करने की उम्मीद की जाती है, वह यह है कि यह केवल एक डाकघर के रूप में कार्य नहीं करता है। न्यायालय को वास्तव में अपने समक्ष सामग्री को जाँचना चाहिए। जाँचने वाली सामग्री वह सामग्री होगी जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत और भरोसा किया जाता है। यह जाँच इस अर्थ में पूरी बारीकी से नहीं होगी कि न्यायालय एक पूर्ण विचारण के बाद पूरे साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद दलीलें सुनने वाले विचारण न्यायाधीश की जिमेदारी निभाता है और प्रश्न यह नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए मामला बनाया है या नहीं। आवश्यकता जो की**

इस बात की है, कि न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि उपलब्ध सामग्री, के साथ अभियुक्त पर विचारण करने के लिए मामला बनता है। एक मजबूत संदेह पर्याप्त है। हालाँकि, कुछ सामग्री पर एक मजबूत संदेह स्थापित किया जाना चाहिए। सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिसे परीक्षण के चरण में साक्ष्य में अनुवादित किया जा सके। मजबूत संदेह न्यायाधीश की नैतिक धारणाओं के आधार पर शुद्ध व्यक्तिपरक संतुष्टि नहीं हो सकता है कि यहां एक ऐसा मामला है जहां यह संभव है कि अभियुक्त ने अपराध किया है। मजबूत संदेह वह संदेह होना चाहिए जो कुछ सामग्री पर आधारित है जो न्यायालय में खुद को प्रथम दृष्टया अनुशंसा करने के लिए पर्याप्त है कि अभियुक्त ने अपराध किया है।

8.4 **आसिम शरीफ बनाम राष्ट्रीय जांच सरकारी एजेंसी**, (2019) 7 एस.सी.सी. 148 में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विचारण न्यायालय से यह अपेक्षा नही की जाती है या ऐसा नही माना जाता है की वह अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य को क्रमबंधन करने के उद्देश्य से एक लघु विचारण आयोजित करेगा। **कर्नाटक राज्य बनाम एम.आर. हिरेमठ**, (2019) 7 एस.सी.सी. 515 में उच्चतम ने माना कि यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि उन्मोचन के लिए एक आवेदन पर विचार करने के चरण में न्यायालय को इस धारणा पर आगे बढ़ना चाहिए कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री सत्य है और यह निर्धारित करने के लिए सामग्री का मूल्यांकन करें कि सामग्री से उभरने वाले तथ्य क्या हैं, इसके प्रत्यक्ष रूप पर लिया गया, अपराध

का गठन करने के लिए आवश्यक अवयवों के अस्तित्व का खुलासा करें। उच्चतम न्यायालय ने **गुलाम हसन बेग बनाम मोहम्मद मकबूल मागरे और अन्य**, में 2022 की आपराधिक अपील संख्या 001041 (2021 की वि.अनु.या. (आपराधिक) संख्या 4599 से उत्पन्न) दिनांकित 26.07.2022 को तय की गई थी, जो निम्नानुसार देखी गई थी: -

> **इस प्रकार पूर्वोक्त से, यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय को आरोप तय करने के समय अपने विवेक का प्रयोग करने का कर्तव्य सौंपा गया है और उसे केवल डाकघर के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र पर विवेक का प्रयोग किए बिना तथा अपनी राय के समर्थन में संक्षिप्त कारण दर्ज किए बिना समर्थन करना कानून द्वारा समर्थित नहीं है। हालांकि, आरोप तय करते समय न्यायालय द्वारा मूल्यांकन की जाने वाली सामग्री वह सामग्री होनी चाहिए जो अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत और भरोसा की जाती है। ऐसी सामग्री की जाँच पूरी बारीकी से नहीं होगी कि अभियुक्त के अपराध या अन्यथा का पता लगाने के लिए एक लघु विचारण की प्रक्रिया करे। इस स्तर पर केवल यह आवश्यक है कि न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र किए गए सबूत यह मानने के लिए पर्याप्त हैं कि अभियुक्त ने अपराध किया है। यहाँ तक कि एक मजबूत संदेह भी पर्याप्त होगा। निस्संदेह, उस सामग्री के अलावा जो अभियोजन पक्ष द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 173 के अनुसार, अंतिम रिपोर्ट के रूप में न्यायालय के समक्ष रखी गई है न्यायालय किसी अन्य साक्ष्य या सामग्री पर भी भरोसा कर सकता है जो स्टर्लिंग गुणवत्ता का है और अभियोजन पक्ष द्वारा उसके समक्ष लगाए गए आरोप पर सीधा असर डालता है। (देखें: भावना बाई बनाम घनश्याम**, (2020) 2 **एस.सी.सी.** 217)।

8.5 उच्चतम न्यायालय ने **गुजरात राज्य बनाम दिलीप सिंह किशोर सिंह राव**, 2023 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1294 में निम्नानुसार देखा: -

8. आरोप की विरचना करते समय और संज्ञान लेते समय, अभियुक्त को सामग्री पेश करने और न्यायालय से उसकी जाँच करने का आह्वान करने का कोई अधिकार नहीं है। संहिता का कोई भी प्रावधान आरोप तय किए जाने के चरण में अभियुक्त को कोई सामग्री या दस्तावेज दाखिल करने का अधिकार नहीं देता है। विचारण न्यायालय को मामले के तथ्यों के लिए अपने न्यायिक विवेक का उपयोग करना होगा क्योंकि यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक हो सकता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा केवल आरोप पत्र सामग्री के आधार पर विचारण के लिए मामला बनाया गया है या नहीं।

9. यदि अभियुक्त आरोप की विरचना करने के चरण में आरोप पत्र सामग्री प्रदर्शन करने में सक्षम है, जो मामले की स्थिरता को काफी प्रभावित कर सकता है, तो यह सुझाव देना अनुचित है कि ऐसी सामग्री पर न्यायालय द्वारा उस स्तर पर विचार नहीं किया जाना चाहिए या अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। दं.प्र.सं. की धारा 227 के तहत अभियुक्त को प्रस्तुतियाँ करने की स्वीकृति देने का मुख्य उद्देश्य न्यायालय को यह निर्धारित करने में सहायता करना है कि क्या विचारण का संचालन करने के लिए आगे बढ़ना आवश्यक है। संहिता में ऐसा कुछ भी नही है जिससे ऐसी सुनवाई, के दायरे को केवल मौखिक सुनवाई और मौखिक तर्कों तक सीमित किया हो और इसलिए, विचारण न्यायालय उप-निरीक्षक के समक्ष अभियुक्त द्वारा पेश की गई सामग्री पर विचार कर सकता है।

10. यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि उन्मोचन के लिए एक आवेदन पर विचार करने के चरण में न्यायालय को इस धारणा पर आगे बढ़ना चाहिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री सत्य है और उक्त सामग्री का मूल्यांकन यह निर्धारित करने के लिए किया जाना चाहिए कि क्या तथ्य सामग्री से इसके प्रत्यक्ष रूप से निकले हैं, कथित अपराध के लिए आवश्यक अवयवों के अस्तित्व का खुलासा करें।

8.6 उच्च्तम न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों/फैसलों के आधार पर यह स्थापित किया जाता है कि न्यायालय को जाँच के दौरान एकत्र की गई और उसके समक्ष दर्ज की गई सामग्री पर अपने न्यायिक विवेक का उपयोग करने की आवश्यकता है। न्यायालय को आरोप की विरचना के चरण में आरोप आरोप की विरचना करनी चाहिए, जहां प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि अपराध किया गया है। जैसा कि **दीपक भाई जगदीशचंद्र पटेल बनाम गुजरात राज्य और अन्य** (*पूर्वोक्त*), में देखा गया है न्यायालय से आरोप तय करने के समय केवल एक डाक घर का कार्य करने की उम्मीद नहीं की जाती है। और वास्तव में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए और भरोसा की गई सामग्री की जाँच की जानी चाहिए। साक्ष्यों की जाँच पूरी बारीकी से नहीं की जानी चाहिए और न्यायालय पूर्ण विचारण के बाद विचारण तर्क सुनने वाले विचारण न्यायाधीश को जिमेदारी नहीं देनी चाहिए है। न्यायालय को अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से संतुष्ट होना चाहिए

कि विचारण अभियुक्त के मुकदमे का सामना करने के लिए बनाया गया है। प्रासंगिक सामग्री पर स्थापित एक मजबूत संदेह पर्याप्त होगा जिसे परीक्षण के चरण में साक्ष्य में अनुवादित किया जा सकता है।

9. यह परिलक्षित हो रहा है कि शिकायतकर्ता ने महिला विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ, केन्द्रीय जिला, के समक्ष दिनाँक 08.04.2008 को शिकायत दर्ज की जिसमें प्रत्यर्थी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का कोई आरोप नहीं लगाया गया था। शिकायतकर्ता ने खुद को प्रत्यर्थी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी होने का दावा किया, जिसकी शादी मई, 2007 में उससे हुई थी और कथित रूप से दहेज की माँग के लिए शारीरिक और मानसिक क्रूरता की सजा का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता ने दिनांकित 07.05.2008 की अपनी बाद की शिकायत में आरोप लगाया कि प्रत्यर्थी ने उससे शादी करते समय, अपनी पिछली शादी और अपनी पिछली शादी से हुए बच्चों के बारे में बात छिपाई थी। हालाँकि , जाँच के दौरान शिकायतकर्ता विश्वसनीय सामग्री पेश नहीं कर सकी जो यह सिद्ध कर सके कि प्रत्यर्थी ने मई, 2007 में उससे शादी की थी। यद्यपि शिकायतकर्ता ने प्रत्यर्थी के साथ अपनी शादी की कुछ तस्वीरें प्रस्तुत कीं और शिकायतकर्ता के पिता जिनका नाम ओ.पी. भारद्वाज है ने दो सी.डी प्रस्तुत कीं, जिनमें प्रत्यर्थी के साथ शिकायतकर्ता की सगाई और शादी के वीडियो थे। हालांकि, जाँच के दौरान और आगे की जाँच के दौरान उक्त फोटोग्राफ और सी.डी. के मूल स्रोत का पता नहीं लगाया जा सका। शिकायतकर्ता ने जाँच अधिकारी निरीक्षक प्रेम चंद्र द्वारा दर्ज बयान में कहा कि

वह प्रत्यर्थी के साथ, उसका भाई हेमंत और उसकी पत्नी अर्थात् डॉली दिनाँक 27.11.2007, पर वैष्णो देवी गई थी और जम्मू और कटरा के होटलों में रुकी थी। जम्मू में प्रत्यर्थी ने उसे मारने की कोशिश की लेकिन फिर से, जाँच के दौरान उक्त आरोप स्थापित नहीं हो सका। शिकायतकर्ता ने प्रत्यर्थी के कहने पर लेक व्यू नर्सिंग होम, पांडव नगर में उसका जबरन गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया, लेकिन जाँच के दौरान गर्भपात का आरोप भी सिद्ध नहीं हो सका। शिकायतकर्ता ने दिनाँक 23-09-2008 को महिला विरोधी अपराध प्रकोष्ठ के समक्ष अपनी शिकायत को भी वापस ले लिया। शिकायतकर्ता ने बाद की जाँच के दौरान जो की अपराध शाखा द्वारा की गई थी उसमें अभिकथित किया कि उसे प्रत्यर्थी द्वारा उसके भाई हेमंत और उसकी पत्नी डॉली के साथ वैष्णो देवी ले जाया गया था, जो प्रत्यर्थी द्वारा विवादित नहीं है और जम्मू और कटरा के होटलों में रुका था और आरोप लगाया कि शादी के झूठे वादे करके प्रत्यर्थी ने उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए और प्रत्यर्थी ने उसकी अश्लील सी.डी. भी बनाई। हालांकि, शिकायतकर्ता ने अपनी पिछली शिकायतों में प्रत्यर्थी द्वारा उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाने का आरोप कभी नहीं लगाया। मई, 2007 में उच्च न्यायालय मुख्य आरक्षी नरेश यादव के आवास पर प्रत्यर्थी द्वारा जबरदस्ती यौन संबंध बनाने के संबंध में शिकायतकर्ता का आरोप भी जाँच के दौरान सिद्ध नहीं किया जा सका। शिकायतकर्ता प्रत्यर्थी द्वारा उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाने के अपने आरोप को साबित करने के लिए संहिता की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थिति नहीं

हुई। शिकायतकर्ता ने जाँच के दौरान और अपनी विभिन्न शिकायतों में विरोधाभासी रुख अपनाया। शिकायतकर्ता प्रत्यर्थी के साथ अपने विवाह की पुष्टि करने के लिए कोई ठोस सामग्री प्रस्तुत नहीं कर सकी। यह दर्शाता है कि प्रत्यर्थी ने केवल शिकायतकर्ता के परिवार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित किए और शिकायतकर्ता ने अपनी मर्जी और सहमति से प्रत्यर्थी के साथ संबंध भी विकसित किए। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि दिनांकित 14.05.2015 के समन देना आदेश के खिलाफ प्रत्यर्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को संबंधित न्यायालय ने खारिज कर दिया था और इस तरह वर्तमान मामला प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप की विरचना करने के लिए उपयुक्त है। हालांकि, यह कानून का सुस्थापित प्रतिपादन नहीं है। अपराध का संज्ञान लिए जाने और आरोपी को तलब किए जाने के बाद भी संबंधित न्यायालय द्वारा अभियुक्त को बरी किया जा सकता है। अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा दिए पेश किए गए तर्क में कानूनी बल नहीं है।

10. यह एक स्वीकृत कानूनी प्रस्ताव है कि अभियोजन पक्ष को आरोप तय करने से पहले प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने की करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, न्यायालय के पास साक्ष्यों के आंकलन और मूल्याकंन करने की शक्ति इस सीमित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टय मामला बनता है। या नही । यदि न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री अभियुक्त के खिलाफ गंभीर संदेह का खुलासा करती है, तो न्यायालय आरोप की विरचना तय करने

और विचारण को आगे बढ़ाने के लिए न्यायानुमत है, लेकिन न्यायालय से अभिलेख पर सामग्री को साबित करने वाले परिमाण में गहनता से जाने की उम्मीद नहीं है। न्यायालय से यह भी उम्मीद और कल्पना नहीं की जाती है कि वह अभिलेख पर मौजूद सबूतों को क्रमबध करने के उद्देश्य से एक लघु विचारण आयोजित करे। हालाँकि, विचारण न्यायालय को आरोप तय करने के समय अपने विवेक का इस्तेमाल करने का कर्तव्य सौंपा गया है और इसे (न्यायालय को) केवल डाकघर के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। जाँच के दौरान एकत्र की गई सामग्री भा.दं.सं. की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के तहत प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा दिए गए तर्क, जैसा कि ऊपर बताया गया है, बिना किसी कानूनी आधार के हैं। यहाँ आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार की दुर्बलता नहीं है जिसको इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

11. तदनुसार, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को लंबित आवेदनों, यदि कोई हो, के साथ खारिज कर दिया जाता है।

डॉ. सुधीर कुमार जैन

(न्यायाधीश)

फरवरी, 15, 2024

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*